

16/11/20 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील सार्थी अर्जुन  
की शक्ति की पालना से शर्कें दिनांक 22.4.20  
को पेश की।

22.4.20 पत्रावली प्रस्तुत की गई। माननीय  
राजस्व मंडल अजमेर के परिपत्र  
क्रमांक सं-4340 दिनांक 18.03.2020  
की पालना में कोरोना वायरस की रोकथाम  
हेतु न्यायालय का कार्यवाही स्थगित रखी  
गई। पत्रावली आयदा दिनांक 12.6.20  
को पेश हो।

12/6/20 पत्रावली प्रस्तुत की गई। माननीय  
राजस्व मंडल अजमेर के परिपत्र  
क्रमांक सं-4340 दिनांक 18.03.2020  
की पालना में कोरोना वायरस की रोकथाम  
हेतु न्यायालय का कार्यवाही स्थगित रखी  
गई। पत्रावली आयदा दिनांक 14/8/20  
को पेश हो। P.O. साख्ख शकाम पर है।

14/8/20 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील सार्थी अर्जुन की  
पालना से शर्कें दिनांक 19/10/20 को पेश  
की।

19/10/20 पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज अभिभाषक सघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है  
अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयदा दिनांक 16.12/20 को प्रस्तुत हो।

16/12/20 पत्रावली प्रस्तुत। वकील सार्थी अर्जुन

पञ्जाबमी का अप्रैल 1948 में मुद्रित  
रिपोर्ट तहसीलदार, राजपूर पत्र नं.-40/48  
के किला नं. 12/0.025 हैमर रकबा उम्द  
आंदी को आंशिक है। पत्र नं.-40/48  
डिफरेंस लाइन में है। जिसके कारण  
किला नं. 12 का 0.126 हैमर रकबा गैर  
मुद्रित नहर के नाम दर्ज है व 0.126  
हैमर रकबा का ही किला है। आंदी  
के वारिगन का पत्र नं.- 40/48 के  
किला नं.-13/2 का 0.025 हैमर रकबा  
पर मौके अनुसार कसबा कास्ट है।

अपने प्राची को/आंदी को किला  
नं. पत्र नं.- 40/48 का किला नं.  
12/0.025 हैमर आंशिक हुआ। परंतु  
मुद्रित तहसीलदार रिपोर्ट उम्द किला  
नं.-12 राजपूर रिपोर्ट में गैर मुद्रित  
नहर दर्ज होने एवं मौके पर गद्य एवं  
के कारण प्राची के कसबा कास्ट में  
नहीं है। अतः किला नं.-12 में मुद्रित  
नहर दर्ज होने, मौके पर गद्य एवं व  
प्राची के कसबा कास्ट में न होने के  
कारण प्राची डाटा आंशिक दुबली किया  
आता न्यायचित नहीं है। अतः प्राची डाटा  
पत्र नं. 40/48 का अन्तर्गत पत्र-136  
L.R. Act के तहत न्याय नहीं होने के  
कारण एम्बेडाकर खारिज किया जाता है।  
पञ्जाबमी रिपोर्ट नं. 40/48 के पत्र नं. 40/48  
नम्बर ले कर है।

निर्णय से इजलास (उजमर जज)



(पवन कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

अनूपपुर